UPMB010003132024

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) महोबा।

सिविल अपील संख्या–05/2024

सतीशचन्द्र आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि।

दिनांक 13.03.2024

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर पक्षगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पक्षगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 21ग2 बाबत वाद समेकित करने व संबंधित अन्य सिविल अपील संख्या–06/2024 जगदीश प्रसाद बनाम दिनेशचन्द्र आदि में प्रार्थना पत्र कागज संख्या–22ग2 बाबत वाद समेकित किये जाने तथा सिविल अपील संख्या–04/2024 श्री प्रकाश बनाम दिनेशचन्द्र में प्रार्थना पत्र कागज संख्या–24ग2 बाबत वाद समेकित किये जाने पर सुना गया।

2. प्रार्थना पत्र 21ग2, 22ग2 व 24ग2 अपीलार्थीगण की ओर से इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त अपील के अतिरिक्त इस न्यायालय में सिविल अपील संख्या–79/2023 अरिमर्दन सिंह आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि विचाराधीन है। इस सिविल अपील से संबंधित अन्य सिविल अपील को समेकित दिनांक 08.02.2024 को करते हुए लीडिंग पत्रावली बनायी गयी है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित सिविल अपील संख्या–04/2024 श्री प्रकाश बनाम दिनेशचन्द्र आदि, सिविल अपील संख्या–05/2024 श्री सतीशचन्द्र आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि व सिविल अपील संख्या–06/2024 जगदीश प्रसाद बनाम दिनेशचन्द्र को भी समेकित किये जाने की याचना की है।

3. उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के विरोध में उत्तरदातागण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

4. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय में न्यायालय सिविल जज सी0डी0 महोबा द्वारा मूलवाद संख्या–14/2019 दिनेश्चन्द्र आदि बनाम अरिमर्दन सिंह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.11.2023 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण द्वारा अपीलें प्रस्तुत की गयी है जो निम्नवत है–

1. **सिविल अपील संख्या–79/2023 अरिमर्दन सिंह आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि।**
2. **सिविल अपील संख्या–04/2024 श्री प्रकाश बनाम दिनेशचन्द्र आदि।**
3. **सिविल अपील संख्या–05/2024 सतीशचन्द्र आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि।**
4. **सिविल अपील संख्या–06/2024 जगदीश प्रसाद बनाम दिनेशचन्द्र आदि।**

6. इन उपरोक्त सिविल अपीलों को समेकित किये जाने की याचना की है तथा लीडिंग पत्रावली सिविल अपील संख्या–79/2023 अरिमर्दन सिंह आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि को बनाये जाने की याचना की है।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 08.02.2024 के द्वारा इन्हीं निर्णय व डिक्री से संबंधित अन्य पक्षों के सिविल अपीलों को समेकित किया जा चुका है। प्रस्तुत उपरोक्त सिविल अपील भी उसी निर्णय/डिक्री के विरूद्ध योजित की गयी है तथा पक्षकार भी एक ही है।

8. समस्त अपीले एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध संस्थित की गयी है। अतः उपरोक्त सभी अपीलों में परस्पर विरोधी निर्णय के बचाव हेतु तथा पृथक–पृथक साक्ष्य संकलित करने के समय साक्ष्य में आये कतिपय विरोधाभासों से बचाव तथा न्यायालय एवं पक्षों के बहुमूल्य समय के बचाव हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त सभी सिविल अपीलों का एक साथ संयुक्त विचारण किया जाये।

9. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सिविल अपलों का संयुक्त विचारण किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 21ग2, 22ग2 व 24ग2 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 21ग2, 22ग2 व 24ग2 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त उल्लिखित सिविल अपीलों का संयुक्त विचारण किया जायेगा। सिविल अपील संख्या–79/2023 अरिमर्दन सिंह आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि की पत्रावली को लीडिंग पत्रावली बनायी जाती है। सम्पूर्ण साक्ष्य सिविल अपील संख्या–79/2023 अरिमर्दन सिंह आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि में संकलित किया जायेगा, जो अन्य समस्त सिविल अपीलों में भी पढ़ा जायेगा। उक्त अदेश की एक प्रति उपरोक्त समस्त संबंधित सिविल अपील वाद में रखी जाये।

(सुनील कुमार तृतीय)
अपर जिला न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
महोबा। यू0पी0–01826

प्रस्तुत उक्त सिविल अपील में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा आज यह भी मौखिक कथन किया गया है कि न्यायालय द्वारा उक्त सिविल अपील में पारित स्थगन आदेश खिलाफ उत्तरवादीगण अग्रिम तिथि तक प्रभावी रखा जावे, जिस पर विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्र में यह अंकित किया है कि स्थगन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति नहीं देना है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2024 को पक्षगण को अग्रिम दिनांक तक विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया गया था। **ऐसी स्थिति में आपत्ति देने से मना करने के तथ्य को ध्यान**

में रखते हुए न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.02.2024 को विवादित सम्पत्ति के सुरक्षार्थ एवं लम्बित अपील के उद्देश्य को निष्फल होने से बचाने के लिए पक्षगणों को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत सिविल अपील के अंतिम निस्तारण तक विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाये रखे। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 6ग2 निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते आपत्ति सिविल अपील 4क दिनांक 28.03.2024 को पेश हो।

दिनांक 13.03.2024

(सुनील कुमार तृतीय)
अपर जिला न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
महोबा। यू0पी0–01826

Digitally signed by Sunil Kumar III
Date: 2024.03.13 16:03:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court